# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील/भरण पोषण संख्या 72/2020 बउनवानी रामधन, प्रेमदेवी बनाम गजानन्द ,जितेन्द्र वगै.

GCMS NO-2020/00178

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | |
|---|---|---|
| 03.02.2021 | पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट स्वंय उपस्थित/रेस्पो. संख्या 1-2 बावजूद तामील नोटिस नियत दिनांक को एवं आज न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ। अतः रेस्पो. के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे ली जाकर स अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।<br><br>अपीलान्ट द्वारा दौराने सुनवायी कथन किया कि माननीय अधिकरण द्वारा माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम,2007 की धारा 11 के अन्तर्गत दिनांक 10.5.2011 को मेरे चार पुत्रों को प्रत्येक को 1500/-रू 1500/-रू का भुगतान प्रतिमाह आजीवन मुझ अपीलान्टगण को किये जाने बाबत आदेश दिये गये थे। किन्तु अपलान्ट को रेस्पो. द्वारा नियमित रूप से गुजारा भत्ता का भुगतान नही किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके यहॉ प्रा0पत्र संख्या 01/2020 उनवानी रामधन वगै. बनाम गजानन्द वगै. दर्ज कर दिनांक 2.11.2020 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अपीलान्ट को रेस्पो. द्वारा भुगतान किये गये रूपयो का हस्त लिखित विवरण को आधार मानते हुए बिना किसी ठोस साक्ष्य (यथा बैंक पास बुक, भुगतान रसीद इत्यादि) को रिकार्ड पर लिये बिना ही पारित किया है जिसमे अपीलान्ट को मात्र 20,000 भुगतान करने के आदेश पारित कर रेस्पो. को रिहा करने के आदेश दिये गये है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में अपीलान्ट को 40500/-रू कम दिलवाये गये है। अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस को न्यायालय के समक्ष दस्तावेज सूची मय बैंक स्टेटमेंट, प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. से मुझ अपीलान्ट को 40500/-रू ओर दिलवाया जावे।<br><br>अपीलान्ट की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय की मिसल एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट को किये गये भुगतान के संबंध में साक्ष्य/सबूत अर्थात अपीलान्ट को भुगतान की गयी राशि का दस्तावेजी सबूत यथा बैंक डिटेल, प्राप्ति रसीद लिये जाने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेस्पो. द्वारा भुगतान बाबत प्रस्तुत किया गया हस्तलिखित विवरण ही उपलब्ध है, उक्त हस्तलिखित विवरण के समर्थन में भुगतान पत्र, बैंक डिटेल इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति प्रकरण उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।<br><br>उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट को उक्त अवधि में किये गये भुगतान से संबंधित [illegible] भुगतान पत्र इत्यादि का अवलोकन कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत [illegible] को रिकार्ड पर लिया जाकर 45 दिवस में [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>(राजेन्द्र किशन)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested